15

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

निग.प्र.क. III/निगरानी/सीहोर/भू-रा/2017/1836

अभय कुमार मेहता आ. स्व. श्री महेन्द्र प्रताप मेहता आयु 65 वर्ष
कृषक एवं निवासी ग्राम इछावर
तहसील इछावर जिला सीहोर..... आपत्तिकर्ता/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. श्रीमती प्रमिला बाई मेहता पत्नी स्व. श्री अनिल मेहता आयु 55 वर्ष
02. अभिषेक मेहता पुत्र स्व. श्री अनिल मेहता आयु 32 वर्ष
03. अनुराग मेहता पुत्र स्व. श्री अनिल मेहता आयु 30 वर्ष
कमांक 1 से 3 निवासी ए-65 एजोटिका आश्रम चौराहा,
एयर पोर्ट रोड भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.)
04. श्रीमती साक्षी मालू पुत्री श्री विनोद कुमार कृषक ग्राम इछावर,
तहसील इछावर जिला सीहोर
हाल निवासी सिवनी जिला सिवनी (म.प्र.)
05. म.प्र. शासन .....रेस्पोन्डेन्टस्

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 19.07.2016 एवं 05.06.2017 निगरानी प्रकरण कमांक 01/स्व. निग./2016-17 पारित अपर कलेक्टर महोदय सीहोर

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीहोर द्वारा प्रकरण कमांक 1/स्व निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19.07.2016 एवं 05.06.2017 जिसके की द्वारा रेस्पोन्डेन्ट कमांक 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन कलेक्टर महोदय सीहोर को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.07.2016 के आधार पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिये जाने के आदेश एक पक्षीय रूप से दिनांक 19.07.2016 को पारित किये गये एवं निगरानीकर्ता का आवेदन वास्ते प्रारंभिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 32 निरस्त किया गया है, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

01. यह कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.07.2016 एवं 05.06.2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि निगरानी के संलग्न प्रस्तुत है। निगरानी समयावधि में होकर माननीय राजस्व मण्डल के श्रवण क्षेत्राधिकार में है।

प्रकरण के तथ्य

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा कमांक 539, 540/1 क्षेत्रफल 1.560 हेक्टेयर अर्थात 3.46 एकड़ भूमि स्थित ग्राम इछावर राजस्व पत्रों में स्व. श्रीमती देवकुंवर बाई के नाम दर्ज चली आ रही थी। उक्त

रवीन्द्र भारद्वाज
एडवोकेट एवं नोटरी
सीहोर (म.प्र.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सीहोर / भू0रा0 / 2017 / 1835

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01—9—2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सीहोर के अंतरिम आदेश दिनांक 5—6—17 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति को इस आधार पर निर स्त किया है कि नामांतरण पंजी कमांक 1 में पारित आदेश दिनांक 5—1—07 में प्रमिलाबाई हितबद्ध पक्षकार है और उसे सुनवाई का अवसर एवं आदेश की सूचना नही रही है। उपरोक्त नामांतरण आदेश का गुण—दोष के आधार पर विनिश्चय किया जाना उचित पाया है। अपर कलेक्टर ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त कर प्रकरण गुण—दोष पर निराकरण हेतु नियत किया है। अपर कलैक्टर द्वारा पारित आदेश में वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	